E-MAIL

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र/बी-6/नियमन /वि.अनु./बंसल फाइन फूडस/210/1263 भोपाल, दिनांक 12 /05/2022

प्रति

मेसर्स बंसल फाइन फूडस प्रायवेट लिमिटेड,
121 कि.मी. माइल जी.टी. रोड
नमस्ते चौक के पास,
करनाल-132001 हरियाणा।

विषय:-मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रो के लिए विशेष अनुज्ञप्ति) नियम 2009 एवं (यथासंशोधित) नियम के अधीन नवीन विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने के संबंध मे।

संदर्भ :-मेसर्स बंसल फाइन फूडस प्रायवेट लिमिटेड का आवेदन पत्र दिनांक 19/04/2022

मेसर्स बंसल फाइन फूडस प्रायवेट लिमिटेड करनाल के द्वारा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रो के लिए विशेष अनुज्ञप्ति) नियम 2009 (यथासंशोधित) के अधीन नवीन विशेष अनुज्ञप्ति लिये जाने हेतु प्ररूप-एक मे आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमे कम्पनी के द्वारा 03 विनिर्दिष्ट मंडी छतरपुर, डबरा, इंदरगढ मे अधिसूचित कृषि उपज गेहूँ का कारबार किये जाने हेतु 03 क्रय-केन्द्र की स्थापना कर निर्यात करने के लिए अनुमति चाही गई है।

मेसर्स बंसल फाइन फूडस प्रायवेट लिमिटेड करनाल के द्वारा संदर्भित आवेदन मे नवीन विशेष अनुज्ञप्ति के लिये जाने हेतु संशोधित नियम-2009 के नियम 6 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समूह (ड)-धान्य तथा दलहन (गेहूं) की खरीदी हेतु आवेदन मे उल्लेख किया गया है।

मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रो के लिए विशेष अनुज्ञप्ति) नियम 2009 (यथासंशोधित) के अधीन संशोधित नियम 6 समूह (ड) धान्य तथा तिलहन के लिये विनिर्दिष्ट अधिसूचित कृषि उपज के नियत समूहवार प्रतिभूति की राशि निम्नानुसार नियत की गई है :-

(ड)	धान्य तथा दलहन	प्रति क्रय केन्द्र रूपए 1 लाख किन्तु न्यूनतम रूपए 3 लाख

* "परन्तु नियम 6 मे उल्लेखित प्रतिभूति न्यूनतम है तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वार्षिक वर्ष के किसी एक दिवस मे समस्त क्रय केन्द्रो से संचयी रूप से वास्तविक क्रय के कुल मूल्य तक बढाई जा सकेगी" ।

D:\SANDEEP BIRARE\LETTER NEW SANDEEP.docx

मेसर्स बंसल फाइन फूडस प्रायवेट लिमिटेड करनाल के द्वारा उपरोक्तानुसार 03 विनिर्दिष्ट मंडियो मे अधिसूचित कृषि उपज गेहूँ के क्रय एवं निर्यात हेतु 03 क्रय केन्द्र स्थापित हेतु संशोधित नियम 6 के अधीन राशि रूपये 3,00,000/- (रू. तीन लाख मात्र) भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसएमई ब्रांच करनाल जो प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल के नाम से प्रस्तुत की गई है जिसकी अवसान तिथि 13/04/2027 तक है।

मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रो के लिए विशेष अनुज्ञप्ति) नियम 2009 (यथा संशोधित) के नियम 7 (दो) में एक से अधिक मंडी क्षेत्रों मे अधिसूचित कृषि उपज गेहूँ के क्रय केन्द्र तथा निर्यात हेतु मंडी का नाम और क्रय केंद्र आदि का विवरण देना प्रावधानित है जिसके अनुसार मेसर्स बंसल फाइन फूडस प्रायवेट लिमिटेड करनाल द्वारा समय-समय पर कृषि उपज के खरीदी की संबंधित मंडी समितियों को यथासमय जानकारी उपलब्ध करवाई जाये।

मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 32-क के अधीन म.प्र. कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रो के लिए विशेष अनुज्ञप्ति) नियम 2009 (यथासंशोधित) के शर्त क्रमांक 4, 8, 10 एवं 12 के अनुसार मेसर्स बंसल फाइन फूडस प्रायवेट लिमिटेड करनाल को अधिसूचित कृषि उपज केवल संशोधित नियम-2009 के नियम 4(2) विनिर्दिष्ट समूह (ड)-धान्य तथा दलहन (गेहूँ) के क्रय-विक्रय तथा निर्यात के लिए अनंतिम रूप से एक वर्ष के लिये यह विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जाती है। विशेष अनुज्ञप्ति प्ररूप-3 मे परिशिष्ट-अ पर है।

संलग्न :-परिशिष्ट-अ

(विकास नरवाल)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

D:\SANDEEP BIRARE\LETTER NEW SANDEEP.docx

क्र/बी-6/नियमन /वि.अनु./बंसल फाइन फूडस/210/ 1264 भोपाल, दिनांक 12/05/2022

प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त/उप संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय भोपाल/इंदौर/उज्जैन/जबलपुर/सागर/ग्वालियर/रीवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु। मेसर्स बंसल फाइन फूडस प्रायवेट लिमिटेड करनाल को म.प्र. कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रो के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, **2009** (यथासंशोधित) के नियम **4, 8, 10** के अधीन **अधिसूचित** कृषि उपज गेहूँ के लिए स्वीकृत की गई है । अनुज्ञप्तिधारक द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियो का पूर्ण पालन सुनिश्चित करावे। साथ ही आपके स्तर से इस विषय की जानकारी संभाग की समस्त कृषि उपज मण्डी समिति को दी जाये।

2. सचिव कृषि उपज मण्डी समिति.................................. जिला................................ म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। मेसर्स बंसल फाइन फूडस प्रायवेट लिमिटेड करनाल को कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रो के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, **2009** (यथासंशोधित) के नियम **4, 8, 10** के अधीन जारी उपरोक्तानुसार अधिसूचित कृषि उपज गेहूँ के लिए स्वीकृत की गई है । अनुज्ञप्तिधारक द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियो का पूर्ण पालन सुनिश्चित करावे। छायाप्रति संलग्न कर भेजी जा रही है।

3. अपर संचालक (आई.टी सेल), म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल। विशेष अनुज्ञप्तिधारी मेसर्स बंसल फाइन फूडस प्रायवेट लिमिटेड करनाल को स्वीकृत विशेष अनुज्ञप्ति को ई-अनुज्ञा मॉड्यूल मे आवश्यक प्रविष्टि किया जाये।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

D:\SANDEEP BIRARE\LETTER NEW SANDEEP.docx

परिशिष्ट-अ

प्ररूप - तीन

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी कार्यालय

किसान भवन, 26 अरेरा हिल्स, भोपाल

विशेष अनुज्ञप्ति निर्यात क्रमांक/एस.एल./2022/117 दिनांक 12/05/2022

(एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों मे अधिसूचित कृषि उपज के कारोबार के लिए विशेष अनुज्ञप्ति)

1 मेसर्स बंसल फाइन फूडस प्रायवेट लिमिटेड करनाल को अधिनियम की धारा 32-क के अधीन निम्नांकित एक से अधिक मंडी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज गेहूँ के कारोबार कर निर्यात हेतु तारीख 12 माह 05 वर्ष 2022 को विशेष अनुज्ञप्ति अनंतिम रूप एक वर्ष के लिए दी जाती है :-

अनु क्र0	अधिसूचित कृषि उपज का नाम जिसके कारबार हेतु विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत/ की गई है।	विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र का नाम, जिसमें कारबार हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है	संबंधित मंडी समिति का नाम	विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र के अधीन अनुमोदित क्रय केन्द्रों के नाम	कारबार का स्थान, कार्यालय का पता	कार्यालय प्रमुख का नाम, पदनाम एवं पता
1	धान्य तथा दलहन (गेहूँ)	डबरा	अधिसूचित कृषि उपज मंडी समिति ग्वालियर	गोदाम मे.बंसल फाइन फूडस प्रा.लि.	सिद्धि विनायक वेयर हाउस परिसर सालवई डबरा-भितरवार मेन रोड डबरा जिला ग्वायिलर	श्री नीरज बंसल सिद्धि विनायक वेयर हाउस परिसर सालवई डबरा-भितरवार मेन रोड डबरा जिला ग्वायिलर
2	धान्य तथा दलहन (गेहूँ)	उपमण्डी इंदरगढ	अधिसूचित कृषि उपज मंडी समिति सेवढा	-	-	-
3	धान्य तथा दलहन (गेहूँ)	छतरपुर	अधिसूचित कृषि उपज मंडी समिति छतरपुर			

2 इस अनुज्ञप्ति के अधीन अनुज्ञप्तिधारक के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह वित्तीय वर्ष मे समस्त क्रय केन्द्रो मे मिलाकर नीचे यथा दर्शित अधिसूचित कृषि उपज की न्यूनतम मात्रा क्रय करे:

अनु क्र0	अधिसूचित कृषि उपज का नाम	प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कय की जाने वाली न्यूनतम मात्रा (मे0टन में {नियम 4 (2) देखिए}
1	धान्य तथा दलहन (गेहूँ)	2000 मे0टन

3 अनुज्ञप्तिधारी, इस अनंतिम अनुज्ञप्ति के दिये जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर विनिर्दिष्ट क्रय केन्द्र पर निम्नलिखित प्रसुविधाएं सृजित करेगाः-

1. इलेक्ट्रानिक वे ब्रिज
2. पेयजल की समुचित व्यवस्था
3. समुचित प्रकाश व्यवस्था
4. पुरूष/महिला के लिये शौचालय की सुविधा
5. शेड की व्यवस्था
6. कृषको के लिये छायादार विश्राम स्थल
7. भुगतान काउन्टर
8. टेक्टर ट्राली की पार्किग की समूचित व्यवस्था
9. नमी, कचरा, क्षतिग्रस्त दानों के प्रतिशत के निर्धारण के लिये उपकरण तथा मानव शक्ति
10. प्रवेश, विक्रय-क्रय, भुगतान तथा तौल काउन्टरों/ क्षेत्रों पर सीसीटीव्ही कैमरे स्थापना।
11. क्रय-विक्रय लेखा की मैन्युअल के साथ ही डिजीटल बैकअप प्रणाली संधारण।

4 यह विशेष अंनतिम अनुज्ञप्ति दिनांक ..12.../05/2022 से ...11./05/2023 तक प्रभावशील रहेगी, परन्तु अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं उपविधियों के उल्लंघन पर किसी भी समय निलंबित या रदद की जा सकेगी।

5 यह अंनतिम अनुज्ञप्ति निम्नलिखित मुख्य आधारों पर निलंबित या रदद की जा सकेगी:-

(एक) विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र मे कृषकों को उनकी कृषि उपज का देय भुगतान न करने पर,

(दो) मण्डी फीस, निराश्रित शुल्क का भुगतान अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन उपबंधों के अनुसार तथा विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर न करने पर,

(तीन) मण्डी फीस का अपंवचन करने, जारी अनुज्ञापत्र, रसीदे या अन्य जाली मण्डी अभिलेखों का संधारण करने तथा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने या कराया जाना पाये जाने पर,

(चार) मण्डी समितियों या बोर्ड, को देय रकम का सूचना-पत्र के अनुसार समय-सीमा के भीतर भुगतान न करने पर, व्यतिक्रमी पाये जाने पर,

(पॉच) अधिनियम, नियमों तथा उसके अधीन बनाई गयी उपविधियों द्वारा नियत समय-सीमा के भीतर विहित नियतकालिक विवरणियॉं प्रस्तुत न करने पर,

(छ) बोर्ड, मण्डी समिति से जारी किये गये निर्देशों की अवज्ञा किया जाना पाये जाने पर,

(सात) अधिसूचित कृषि उपज का न्यूनतम विहित मात्रा में क्रय न किये जाने पर

अनुज्ञप्ति जारीकर्ता
कार्यालय की मोहर

अधिसूचित प्राधिकारी/ अधिकारी
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी
प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल (म.प्र.)